"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211] रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 अगस्त 2006 — श्रवण 16, शक 1928

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-02/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1445.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् मुंगेली के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री अब्दुल शेख वहिद को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-02/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/1446.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् मुंगेली के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री अनिल कुमार को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2006

आदेश

क्रमांक/ एफ-44/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/1464.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम, रायगढ़ के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री देवेन्द्र नारायण को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर के चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-44/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/1465.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम, रायगढ़ के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री झाडूराम भारद्वाज को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर के चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2006

आदेश

क्रमांक/ एफ-44/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/1466.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम, रायगढ़ के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री धनीराम को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर के चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2006

आदेश

क्रमांक /एफ-44/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/1467.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम, रायगढ़ के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री गौतम सारथी को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर के चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-44/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/1468.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम, रायगढ़ के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री हरि टंडन को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर के चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-44/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/1469.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम, रायगढ़ के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री रामकुमार अजगल्ले को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर के चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2006

आदेश

क्रमांक/ एफ-44/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/1470.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम, रायगढ़ के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री द्वारका प्रसाद को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर के चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006.